न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–05/17–18

मुकूलेन्दु दास, पिता–स्व0 सुधांशु भूषण दास एवं हेना रानी दास, पता– न्यू बाबूपाड़ा, दुमका

वनाम

अंचल अधिकारी, दुमका,

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
21.1.2021	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–05/17–18 मुकूलेन्दु दास, पिता–स्व0 सुधांशु भूषण दास एवं हेना रानी दास, पता–न्यू बाबूपाड़ा, दुमका के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–23/2016–17 में पारित आदेश दिनांक–12.12.2016 के विरुद्ध नामान्तरण अपील दायर किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में वर्णित किया गया है कि श्रीमती हेना रानी दास, पति–सुधांशु भूषण दास द्वारा निबंधित डीड सं0–2024/1990, दिनांक–10.05.90 द्वारा जमाबंदी सं0, दाग सं0–2264 जो जमीनदारी दाग सं0–13/7/3 दाग सं0–592, नया दुमका नं0–7 का अंश है, को उन्हें ब्रिकी किया गया है। अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–112/रा0, दिनांक–28.01.19 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री मुकूलेन्दु दास, पिता–स्व0 सुधांशु भूषण दास, पता–न्यू बाबूपाड़ा, दुमका के द्वारा कार्यालय में सेलडीड के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन दिया गया था जिसका वाद सं0–23/2016–17 था। हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी–II में दर्ज खेसरा सं0 एवं आवेदक के द्वारा नामान्तरण हेतु अंकित खेसरा विवरणी का मिलान नहीं होने के कारण हेना रानी दास, पति–सुधांशु भूषण दास का नामान्तरण अभिलेख का मांग किया गया था, परन्तु आवेदक द्वारा ससमय राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। चूँकि नामान्तरण वाद कालबाधित होने के कारण उक्त नामान्तरण वाद सं0–23/2016–17 को अस्वीकृत कर दिया गया। नामान्तरण वाद सं0–23/2016–17 के अस्वीकृति के पश्चात् आवेदक के द्वारा रजिस्ट्री केवाला सं0–1814, दिनांक–02.06.83 के आधार पर नामान्तरण वाद सं0–69/1984–85 का अभिलेख शुद्धिपत्र इत्यादि का छायाप्रति उपलब्ध कराया गया जिसके आधार पर मौजा–दुमका टाउन के खाता सं0–13/7/3	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	खेसरा सं0–592 / 2264 रकवा–00–03–13 धूर (तीन कट्‌ठा तेरह धूर) पंजी–II में सुधार कर दर्ज कर दिया गया है। उक्त भूमि नामान्तरण वाद सं0–69 / 84–85 द्वारा हेना रानी दास, पति–सुधांशु भूषण दास के नाम से नामान्तरण किया गया है। जिसे इनके द्वारा आवेदक को सेलडीड नं0–2028 दिनांक–11.07.1990 के माध्यम से विक्रय किया गया है। आवेदक हेनारानी दास के पुत्र लगते है। अंचल अधिकारी, दुमका ने राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मौजा–दुमका टाउन के खाता सं0–13 / 07 / 3 खेसरा सं0–592 / 2264 अंश रकवा 00–03–13 धूर (तीन कट्‌ठा तेरह) धूर भूमि लगान 31:00 अलावे सेस धार्य करते हुए नामान्तरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना। अभिलेख में संलग्न दस्तावेज, उपरोक्त विवेचन, अपीलकर्ता के आवेदन एवं अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–दुमका टाउन के खाता सं0–13 / 07 / 3 खेसरा सं0–592 / 2264 अंश रकवा–00–03–13 धूर (तीन कट्‌ठा तेरह धूर) भूमि मुकूलेन्दु दास, पिता–स्व0 सुधांशु भूषण दास, पता–न्यू बाबूपाड़ा, दुमका के नामान्तरण अपील की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 21.01.2024 21.01.2024 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by ABDUS SAMAD
Date: 2024.07.27 19.08.44 +05:30
Location: 192.168.29.122